

फार्म - 1, दिनांक 31.12.2016 को धारित अचल सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी का नाम :- डॉ. नागेन्द्र प्रसाद मिश्र
2. वर्तमान / धारित पद :- संविधानियुक्ति पर मुख्य सलाहकार (सिविल), मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल
3. प्रथम नियुक्ति का पद व दिनांक :- सहायक यंत्री (नागरिकीय) 20.09.1979
4. प्रथम नियुक्ति के समय कुल वेतन :- 425-900 वेतनमान समतुल्य 8000-13000
5. वर्तमान पद का कुल वेतन :- सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग, (सेवानिवृत्त दिनांक 30.11.2012), लगभग 90,000.00 प्रतिमाह पेंशन और मानदेय सहित।

सरल क्रमांक	उस जिले उप-संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		सम्पत्ति अर्जित करने का दिनांक व उसका उस समय मूल्य	वर्तमान मूल्य	स्वयं के नाम पर हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मधार से क्या संबंध है ?	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा हिरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम और व्यौरा
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि / आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला रीवा, उपसंभाग मऊगंज, तह. हनुमना ग्राम - कोलहा, पोखडोर चरैया सिगटी	संयुक्त परिवार का रहायसी मकान	निजी हिस्से की कृषि भूमि 9.14 एकड़	पैतृक सम्पत्ति	20.0 लाख	पारिवारिक बटवारा पुल्ली स्वयं के नाम	पैतृक सम्पत्ति
2	महिष्मती ए 47 प. ब्लाक अरविन्द विहार बागमुगलिया भोपाल	एचआयजी गृह 1610 वर्गफीट में		1 नवम्बर 2004 रु. 967560 /-	55.00 लाख	स्वयं के नाम पर धारित	सम्पत्ति अधिकारी म.प्र. हाउसिंग बोर्ड संभाग क्र. 3 भोपाल से कय

सरल क्रमांक	यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देने / अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उसके लिये लगाए गए वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण जिसमें नगद ऋण या भेंट ली है उसका पूरा पता दिया जावे।	यदि सम्पत्ति में कोई सुधार विस्तार किया गया है तो उसकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार विस्तार के लिये शासन को नियमानुसार सूचित किया गया या अनमति ली गई	सम्पत्ति से वार्षिक आय	यदि सम्पत्ति को बेचा या हस्तांतरित किया गया है तो उसका सम्पूर्ण विवरण	अभियुक्ति
1	9	10	11	12	13	14	15
1	पैतृक सम्पत्ति	पैतृक सम्पत्ति	खेती पाती की आवश्यकतानुसार खेती से हुई आय द्वारा	सालाना नियमित खेती कार्य के अंतर्गत कराया जाने वाला कार्य आवश्यक नहीं है	रु. 600000.00	कुछ नहीं	खेती का कार्य संयुक्त परिवार द्वारा संचालित एवं संधारित किया जाता है।
2	मुख्य अभियंता गंगा कछार रीवा से अनुमति दिनांक 16.06.04 को प्राप्त	भारतीय स्टेट बैंक वैयक्तिक बैंकिंग शाखा ई 3 अरेशा कालोनी से 7.00 लाख का कर्ज व जीपीएफ से रु 5.00 लाख का पार्ट फाइनल विकर्षण किया गया। वर्ष 2014 में कर्ज चुकाया जा चुका है।	खरीदी के साथ व बाद में रहायसी आवश्यकतानुसार मामूली फेर बदल किया गया। वित्तीय साधन जीपीएफ से किये विकर्षण व वेतन की बचत से हुआ	खरीदी के लिये नियमानुसार विभाग से अनुमति प्राप्त है। व खरीदी की सूचना रजिस्ट्री आदि की जानकारी से मुख्य अभियंता जल संसाधन रीवा को दी गई है।	पारिवारिक उपयोग के कारण संयुक्त परिवार की 50000.00 रुपये की सालाना बचत	कुछ नहीं	संयुक्त परिवार के सदस्यों के भोपाल आने पर होटल या किराया का घर नहीं लेना पड़ता इससे संयुक्त परिवार की बचत होती है।

(डॉ. नागेन्द्र प्रसाद मिश्र)  
मुख्य सलाहकार (सिविल)  
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम  
भोपाल (म.प्र.)